

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-कोरबा (छ0ग0)

-: शुद्धि पत्र :-

क्रमांक/1276/ स्व.विद्या.अभि./सी.एस.आर./जि.पं./2015

कोरबा, दिनांक 19-6-15

जिले अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान के तहत सीएसआर मद से शासकीय विद्यालयों में बालक एवं बालिका शौचालय निर्माण हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/966/स्व.विद्या.अभि./सी.एस.आर./जि.पं./2015 कोरबा, दिनांक 30.05.15 के द्वारा "रूचि की अभिव्यक्ति" जारी की गई है, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2015 नियत की गई है। क्योंकि भारत शासन से समस्त स्कूलों में शौचालय निर्माण पूर्ण करने हेतु 30 जून 2015 अंतिम तिथि नियत है। अस्तु अंतिम तिथि को संशोधित करते हुये 30 जून 2015 के स्थान पर 25 जून 2015 को समय शाम 5.00 बजे नियत किया जाता है। अतः अंतिम तिथि तक प्राप्त "रूचि की अभिव्यक्ति" को उसी दिवस को शाम 5.30 बजे जिला पंचायत कोरबा के सभाकक्ष में खोला जावेगा। उक्त समय पर "रूचि की अभिव्यक्ति" प्रस्तुत करने वाली फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

Shiva
19.6.15
(रीना बाबासाहेब कंगाले)
कलेक्टर

पृ. क्रमांक/1277/ स्व.विद्या.अभि./सी.एस.आर./जि.पं./2015

कोरबा(छ0ग0)
कोरबा, दिनांक 19-6-15

प्रतिलिपि :-

- 1 महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर को सूचनार्थ कर लेख है कि शौचालय निर्माण के संबंध में रूचि की अभिव्यक्ति के संबंध में जारी शुद्धि पत्र को प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
- 2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा को सूचनार्थ।
- 3 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कोरबा को सूचनार्थ कर लेख है की उक्त सूचना पत्र को जिले के वेबसाईट में अपलोड करें।
- 4 श्री डी.के.ठाकुर, महाप्रबंधक, सी.एस.आर. एस.ई.सी.एल. बिलासपुर को सूचनार्थ।
- 5 श्री अतुल कुमार जैन, डी.जी.एम. (एच.आर./सी.एस.आर.) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एम.पी. एस.ओ. भोपाल (म0प्र0) को सूचनार्थ।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा की ओर सूचनार्थ
- 7 जिला जनसंपर्क अधिकारी, कोरबा को समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

Shiva
19.6.15
कलेक्टर
कोरबा(छ0ग0)